

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला
भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 31/2018(2018/00001) वाद पत्र

अनवान

- 1—सज्जनकंवर बेवा मनोहरसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—अमरसिंह आत्मज मनोहर सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

- 1—उदयसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—रतनसिंह आत्मज मोहन सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—मदनसिंह आत्मज मोहन सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—गोपालसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—लहरूकंवर बेवा मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—बैंक ऑफ बडौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
- 7—ग्राम सेवा सहकारी समिति आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज० टी० एक्ट

1—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 08.08.2019


पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाडिया कला पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक लगायत पांच के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 1605 रकबा 0.27 है०, 1606 रकबा 0.38 है०, 1608 रकबा 0.04 है, 1609 रकबा 0.08 है, 1611 रकबा 0.35 है०, 1612 रकबा 0.46 है०, 1613 रकबा 0.17 है, 1614 रकबा 0.38 है०, 1616 रकबा 0.07 है, 1617 रकबा 0.05 है०, 1619 रकबा 0.22 है०, 1620 रकबा 0.28 है कुल किता 12 कुल रकबा 2.75 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 207 पर स्थित है। वादीगण संख्या 1 लगायत 2 का 1/2 हिस्से का कब्जेनुसार एवं हिस्सेनुसार विभाजन कर स्वतन्त्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 07.08.2019 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बाडियाकलां पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 1605 रकबा 0.27 है०, आराजी संख्या 1606/1 रकबा 0.05500 है० आराजी संख्या 1612/1 रकबा 0.40 है० आराजी संख्या 1613 रकबा 0.17 है० आराजी संख्या 1614/1 रकबा 0.12 है०, आराजी




सख्या 1616 रकबा 0.07 है, आराजी सख्या 1620/1 रकबा 0.24 है, आराजी सख्या 1617 रकबा 0.05 है, कुल किता 8 कुल रकबा 1.3750 है सज्जनकवर बेवा मनोहर सिंह, अमरसिंह पिता मनोहर सिंह राजपुत सा लखाहोली खातेदार रहन बीओबी. आशाहोली आराजी सख्या 1606/2 रकबा 0.3250 है. आराजी सख्या 1608 रकबा 0.04 है. आराजी सख्या 1609 रकबा 0.08 है. आराजी सख्या 1611 रकबा 0.35 है. आराजी सख्या 1612/2 रकबा 0.06 है. आराजी सख्या 1614/2 रकबा 0.26 है. आराजी सख्या 1619 रकबा 0.22 है. आराजी सख्या 1620/2 रकबा 0.04 है, कुल किता 8 कुल रकबा 1.3750 हैक्ट. उदयसिंह, रतन सिंह, मदन सिंह, गोपालसिंह पिता मोहन सिंह, मु० लेहरूकवर बेवा मोहनसिंह राजपुत सा. लखाहोली खातेदार रहन जीएसएस आशाहोली हिस्सा उदससिंह पिता मोहन सिंह का दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)
पीठासीन अधिकारी:-गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:- 31/2018(2018/00084) वाद पत्र

अनवान

- 1-सज्जनकंवर बेवा मनोहरसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-अमरसिंह आत्मज मनोहर सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

- 1-उदयसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-रतनसिंह आत्मज मोहन सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-मदनसिंह आत्मज मोहन सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-गोपालसिंह आत्मज मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-लहरूकंवर बेवा मोहनसिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6-बैंक ऑफ बडौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 7-ग्राम सेवा सहकारी समिति आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

बाबत अन्तर्गत धारा 53 आर०टी०एक्ट

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बाड़ियाकलां पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 1605 रकबा 0.27 है०, आराजी संख्या 1606/1 रकबा 0.05500 है० आराजी संख्या 1612/1 रकबा 0.40 है० आराजी संख्या 1613 रकबा 0.17 है० आराजी संख्या 1614/1 रकबा 0.12 है०, आराजी संख्या 1616 रकबा 0.07 है०, आराजी संख्या 1620/1 रकबा 0.24 है०, आराजी संख्या 1617 रकबा 0.05 है०, कुल किता 8 कुल रकबा 1.3750 है० सज्जनकंवर बेवा मनोहर सिंह, अमरसिंह पिता मनोहर सिंह राजपुत सा लखाहोली खातेदार रहन बीओबी. आशाहोली आराजी संख्या 1606/2 रकबा 0.3250 है. आराजी संख्या 1608 रकबा 0.04 है. आराजी संख्या 1609 रकबा 0.08 है. आराजी संख्या 1611 रकबा 0.35 है. आराजी संख्या 1612/2 रकबा 0.06 है. आराजी संख्या 1614/2 रकबा 0.26 है. आराजी संख्या 1619 रकबा 0.22 है. आराजी संख्या 1620/2 रकबा 0.04 है०, कुल किता 8 कुल रकबा 1.3750 हैक्ट. उदयसिंह, रतन सिंह, मदन सिंह, गोपालसिंह पिता मोहन सिंह, मु० लेहरूकंवर बेवा मोहनसिंह राजपुत सा. लखाहोली खातेदार रहन जीएसएस आशाहोली हिस्सा उदससिंह पिता मोहन सिंह का दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 08.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 31/2018 वाद पत्र

अनवान

- 1—सज्जनकंवर बेवा मनोहर सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—अमरसिंह आत्मज मनोहर सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

- 1—उदयसिंह आत्मज मोहन सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2—रतनसिंह आत्मज मोहन सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3—मदनसिंह आत्मज मोहन सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4—गोपालसिंह आत्मज मोहन सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5—लहरूकंवर बेवा मोहन सिंह राजपुत निवासी लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 6—बैंक ऑफ बडौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
- 7—ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 8—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राज० टी० एक्ट

1—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 13.03.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बाड़िया कलां पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 1605 रकबा 0.27 है०, आराजी संख्या 1606 रकबा 0.38 हेक्ट. आराजी संख्या 1608 रकबा 0.04 हेक्ट. आराजी संख्या 1609 रकबा 0.08 हेक्ट. आराजी संख्या 1611 रकबा 0.35 हेक्ट. आराजी संख्या 1612 रकबा 0.46 हेक्ट. आराजी संख्या 1613 रकबा 0.17 हेक्ट. आराजी संख्या 1614 रकबा 0.38 हेक्ट. आराजी संख्या 1616 रकबा 0.07 हेक्ट. आराजी संख्या 1617 रकबा 0.05 हेक्ट. आराजी संख्या 1619 रकबा 0.22 हेक्ट. आराजी संख्या 1620 रकबा 0.28 हेक्ट. कुल किता 12 कुल रकबा 2.75 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 207 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत हैं। वाद पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित आराजियात में हम वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का निहित हैं। वादिगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 5 मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य राजस्व खाता आपस में सामलाती दर्ज रेकार्ड रहने से वादीगण को लगान जमा कराने, अपने हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाने, विकसत करने, भूमि को संमपरिवर्तन कराने में भारी अडचन पैदा रहती है। जिससे वादीगण वाद पत्र की कलम नंबर एक में अंकित आराजियात का मौके पर एवं कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन करवा अपने निहित 1/2 हिस्से का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खुलवाना चाहते हैं। इस हेतु यह विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 सह खातेदार होने से एवं विभाजन कराने से इन्कार होने पर तथा प्रतिवादी संख्या 6 के रहन का इन्द्राज वादीगण के हिस्से पर लगा होने से एवं प्रतिवादी संख्या 7 के रहन का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर लगा होने से एवं पगतिवादी संख्या 8 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें प्रतिवादीगण बनाये गये हैं। वादीगण ने

प्रतिवादीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात का मौके पर कब्जे व हिस्सेनुसार विभाजन करवा राजस्व खाते अलग अलग दर्ज करवाने बाबत कहा लेकिन प्रतिवादीगण हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को अंतिम बार दिनांक 26.04.2018 को कहा लेकिन प्रतिवादीगण विभाजन से इन्कार हो गये, जिससे वादीगण को वाद पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय वाद दिनांक 26.04.2018 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है और वाद पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 11.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है। अतः इनके खिलाफ एकरफा कार्यवाही की जाती है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एकतरफा बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित आराजियात कुल किता 12 कुल रकबा 02.75 है० के ग्राम बाड़िया कला तहसील रायपुर का मौके पर कब्जेनुसार एवं हिस्सेनुसार विभाजन कराया जाकर वादीगण संख्या 1 लगायत 2 का 1/2 हिस्सा का स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोला जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम बाड़िया कलां पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात संख्या 1605 रकबा 0.27 है०, आराजी संख्या 1606 रकबा 0.38 हेक्ट. आराजी संख्या 1608 रकबा 0.04 हेक्ट. आराजी संख्या 1609 रकबा 0.08 हेक्ट. आराजी संख्या 1611 रकबा 0.35 हेक्ट. आराजी संख्या 1612 रकबा 0.46 हेक्ट. आराजी संख्या 1613 रकबा 0.17 हेक्ट. आराजी संख्या 1614 रकबा 0.38 हेक्ट. आराजी संख्या 1616 रकबा 0.07 हेक्ट. आराजी संख्या 1617 रकबा 0.05 हेक्ट. आराजी संख्या 1619 रकबा 0.22 हेक्ट. आराजी संख्या 1620 रकबा 0.28 हेक्ट. कुल किता 12 कुल रकबा 2.75 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 207 पर स्थित है। उक्त आराजियात का मौके पर कब्जेनुसार एवं हिस्सेनुसार विभाजन कराया जाकर वादीगण संख्या 1 लगायत 2 का 1/2 हिस्सा स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोले जाने एवं रहन का इन्द्राज यथावथ रखते हुए प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाडा